

वाद अन्तर्गत धारा 88 आर.टी.एक्ट सहपठित धारा 136 एल.आर.एक्ट बाबत

हस्ताक्षर  
शिविर प्रभारी

महोदय .

निवेदन है कि ग्राम वांसखेडी जमाबंदी सं. 2073-76 के खाता सं. 77 में दर्ज खातेदारान/वादीगण के पिता/पति/हिस्सा/जाति/निवासी में गलत इन्द्राज/लिपीकीय त्रुटी को अन्तर्गत धारा 136 एल.आर.एक्ट में निम्नानुसार शुद्ध किया जाकर अन्तर्गत धारा 88 आर.टी.एक्ट में खातेदार घोषित किया जावे।

भू प्रबंध खतौनी खाता सं.	भू प्रबंध खतौनी अनुसार प्रविष्टि	वर्तमान जमाबंदी खाता सं.	वर्तमान इन्द्राज / त्रुटी पूर्ण इन्द्राज	प्रस्तावित इन्द्राज (शुद्ध प्रविष्टि)
1	2	3	4	5
		161	वजे सिंह पुत्र जगजी हि. 11/128 जाति लोचिप सा. देह खातेदार	वजे सिंह पुत्र जगजी हि. 11/128 जाति लोचिप सा. देह खातेदार

वादी एवं गवाहान का नाम/पिता/जाति/निवासी का विवरण

हस्ताक्षर

1. बालकृष्ण लाल पि. बालकृष्ण जाति मेहर सा. इहसामगार बालकृष्ण लाल
2. गोरधन सिंह पि. बालकृष्ण जाति लोचिप नि. वांसखेडी गोरधन सिंह
3. गोरधन सिंह पि. बालकृष्ण जाति लोचिप नि. वांसखेडी गोरधन सिंह
4. गोरधन सिंह पि. बालकृष्ण जाति लोचिप नि. वांसखेडी गोरधन सिंह

रिपोर्ट पटवारी

वादी/प्रार्थी के वाद पत्र के अनुसार ग्राम वांसखेडी के राजस्व रिकार्ड की जांच की गई। मजमे आम में ली गई जानकारी /भू प्रबंध जमाबंदी एवं वर्तमान जमाबंदी में दर्ज त्रुटीपूर्ण इन्द्राज उक्त सारणी अनुसार शुद्ध किया जाकर तदानुसार वादी खातेदार घोषित होने योग्य है।

गोरधन सिंह  
रिपोर्ट भूअभिलेख निरीक्षक

गोरधन सिंह  
हस्ताक्षर पटवारी  
प०म०.ह.वा.ला.भा.ज

पटवारी रिपोर्ट की जांच की गई। राजस्व रिकार्ड में दर्ज त्रुटीपूर्ण इन्द्राज पटवारी रिपोर्ट अनुसार शुद्ध किये जाने योग्य है।

गोरधन सिंह

भूअभिलेख निरीक्षक  
भू03A10नि0वू0.....



रिपोर्ट तहसीलदार/पेरोपगर सरकार

क्रमांक: राजस्व/2025/

दिनांक :

महोदय , जांच रिपोर्ट पटवारी एवं भू0अभिलेख निरीक्षक अनुसार ग्राम... वासरोडा ... के वादी/प्रार्थी के राजस्व रिकार्ड में दर्ज त्रुटीपूर्ण इन्द्राज को शुद्धि किया जाना उचित होगा। रिपोर्ट सादर प्रस्तुत है।

4  
तहसीलदार/नामव तहसीलदार  
पिडावा जिला झालावाड

आदेश

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी पिडावा जिला झालावाड राज0

क्रमांक: राजस्व न्यायालय/2025/ 290

दिनांक : 26/9/25

वादी/प्रार्थी के ग्राम ... वासरोडा ... के राजस्व रिकार्ड में दर्ज त्रुटीपूर्ण इन्द्राज को तहसीलदार पिडावा की उक्त जांच रिपोर्ट/प्रस्ताव अनुसार प्रस्तावित सारणी के कॉलम 4 में अंकित त्रुटीपूर्ण इन्द्राज को कालम सं. 5 अनुसार दुरुस्त किया जाना स्वीकार किया जाता है। तहसीलदार पिडावा को आदेशित किया जाता है कि वादी/प्रार्थी के राजस्व रिकार्ड में सारणी के कॉलम सं. 5 अनुसार इन्द्राज दुरुस्त कर राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद करें।



Ymp  
उपखण्ड अधिकारी  
उपखण्ड अधिकारी पिडावा  
पिडावा जिला झालावाड राज0